राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 03/2020
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2020/00024
दायर दिनांक– 23.06.2020
निर्णय दिनांक– 19.04.2023

1. अमीन पुत्र रोडू खां जाति देशवाली
2. मनभर पुत्री रामकरण जाति जाट
3. भंवरी देवी पुत्री रामकरण जाति जाट
4. रामलाल पुत्र रामकरण जाति जाट
5. हगाम पुत्री रामकरण जाति जाट

सर्वनिवासी ग्राम काकनियावास, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मीराबक्ष पुत्र सवाई खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम काकनियावास, तहसील रूपनगढ
2. बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा हरमाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

.......अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थीगण
2. शांतिलाल ढ़ेल अधि0 अप्रार्थी संख्या 1

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 230 रकबा 3.6890 है0 भूमि वाकै ग्राम काकनियावास पटवार हल्का बुहारू, भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी ख0न0 230 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 261 में से दक्षिणी दिशा की सींव–मेड़ के सहारे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख0न0 261 की दक्षिण सीमा के सहारे होते हुए उसके आगे लगता हुआ रिकार्डेड रास्ता ख0न0 196 को जोड़ता है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 230 के पूर्व–दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 261 से होकर उसके आगे स्थित रिकार्डेड रास्ता ख0न0 196 तक 12 फीट का रास्ता चाहते है। मुख्य रास्ता की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है तथा मौके पर रास्ते के रूप मे उपयोग हो रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0न0 261 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को प्रार्थना–पत्र में लाल रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि की पहुंच के लिए अन्य कोई रास्ता/मार्ग उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:31 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान औद्योगिक युग में अपनी खातेदारी [illegible] से कम 12 फीट रास्ता होना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 261 में से रास्ता [illegible] हेतु मौखिक निवेदन किया परन्तु उसने मना कर दिया। [illegible] राजस्व रिकार्ड में तरमीम [illegible] से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य विवाद होते रहते है। वकील प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 230 की दक्षिणी–पूर्व सींव की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख0न0 261 में से होकर रिकार्डेड रास्ता तक पहुंचने वाले रास्ते को तरमीम करने के आदेश फरमावे।

19.4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 17.01.2022 को तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पेश कमिश्नरी रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना–पत्र पेश किया। कमिश्नरी रिपोर्ट एतराज प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। दिनांक 05.04.2023 को उक्त प्रार्थना–पत्र में निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में (अप्रार्थी संख्या 3) पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ की ओर से जवाब पेश किया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थीगण की ग्राम काकनियावास के ख0न0 230 की पहुंच हेतु ख0न0 261 मे से दक्षिणी–पश्चिमी से होते हुए जो ख0न0 196 को जोड़ता है। नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ते में काम में आने वाले वाला रकबा 0.016 है0 बनता है, जिसकी ग्राम काकनियावास की डी0एल0सी0 दर 98255/– रू प्रति हैक्टर अनुसार 1572 रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 3144/– रू बनती है। उभयपक्ष वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत तक आने–जाने का मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हे। रास्ते के अभाव के कारण प्रार्थीगण को खेत तक आने–जाने पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीगण को 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास वर्तमान में ख0न0 230 से आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है, जो ख0न0 196 से उत्तर दिशा में भूमि ख0न0 229 में प्रवेश करता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण का रास्ता दिया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के खेत ख0न0 230 तक पहुंचने का निकटतम रास्ता ख0न0 261 से ही लगता है। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख0न0 261 में से 40 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौड़ाई (40 x 04) रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

खसरा नम्बर 261 में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकबा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है–

क.स.	ख0न0	नाम खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	261	मीराबक्ष पुत्र सवाई खां	0.016	3144

प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:31 IST
Reason: SelfAttested

19.4.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)